

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 293 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रघु मुण्डा

- विक्रेता

लेम्बो मुण्डाईन

- क्रेता

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

20.03.20

## आदेश


आवेदक रघु मुण्डा पिता स्व० टोड़ो मुण्डा ग्राम-पदमपुर, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने लेम्बो मुण्डाईन पति रंथुवा मुण्डा ग्राम-पदमपुर, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
पदमपुर	168	36	136	0.18

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 200 दिनांक 16.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।